उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या–10/2021

राज्य बनाम् काली चरण महतो

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

01/11/2021

–:: आदेश ::–

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का पत्र ज्ञापांक–3213/अप०शा०, दिनांक–16.12.2020 से प्राप्त बरलंगा थाना काण्ड सं०–06/2020, दिनांक–16.03.2020, धारा–07 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जप्त किरासन तेल के अभिहरण अनुशंसा प्रस्ताव के आलोक में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6(A) अन्तर्गत राज्यसात की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए धारा–6(B) अन्तर्गत थाना काण्ड के अभियुक्त काली चरण महतो, पिता–स्व० बानेश्वर महतो, सा०–गुरूडीह, थाना–झालदा, जिला–पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) को अपना पक्ष रखने हेतु कारण–पृच्छा नोटिस निर्गत किया गया कि, क्यों नहीं जप्त लगभग 100 ली० किरासन तेल को राज्यसात किया जाय। किरासन तेल नष्ट होने वाला तरल पदार्थ है, जिसे सरकारी दर पर जन वितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से बिक्री कराकर बिक्री राशि कोषागार में जमा करने हेतु जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, रामगढ़ को निर्देशित किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि TVS मोपेड मोटर साईकिल द्वारा दो जरकिन किरासन तेल, जिसमें लगभग 80 ली० किरासन तेल होगा, बरलंगा थाना द्वारा जप्त किया गया है, जो विधि–संगत नहीं है। इन्होंने प्रस्तावित राज्यसात की कार्रवाई को खारिज करने हेतु अनुरोध किया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि प्रसंगाधीन काण्ड के वादी राजशेखर कुमार, पणन पदाधिकारी, गोला के लिखित आवेदन के आधार पर काण्ड दर्ज किया गया है। थाना काण्ड के अभियुक्त काली चरण महतो द्वारा TVS मोपेड मोटर साईकिल नं०–JH-02BB-6928 एवं उसपर दो ब्लू रंग के जरकिन में 100 ली० किरासन तेल कालाबाजारी करने हेतु पश्चित बंगाल के रास्ते में पकड़ा गया है। इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–7 अन्तर्गत राज्यसात करने हेतु अनुरोध किया है।

निष्कर्ष :–

1. काण्ड के वादी राजशेखर कुमार, पणन पदाधिकारी, गोला के लिखित आवेदन के आधार पर बरलंगा थाना काण्ड संख्या–6/2020, दिनांक–16.03.2020 दर्ज की गई है।

82

2. थाना प्रभारी, बरलंगा का पत्र ज्ञापांक–836/2020, दिनांक–14.12.2020 एवं दर्ज प्राथमिकी प्रतिवेदन तथा पुलिस अधीक्ष, रामगढ़ द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रसंगाधीन काण्ड के अभियुक्त काली चरण महतो, पिता–स्व० बानेश्वर महतो, साकिन–गुरूडीह, थाना–झालदा, जिला–पुरूलिया के द्वारा TVS मोपेड मोटर साईकिल नं०–JH-02BB-6928 से किरासन तेल कालाबाजारी करने हेतु ले जाया जा रहा था, जिसे गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है।

3. जप्त किरासन तेल के सन्दर्भ में प्रसंगाधीन थाना काण्ड के अभ्युक्त कालीचरण महतो द्वारा कोई वैद्य कागजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि जप्त किरासन तेल अभ्युक्त के द्वारा कालाबाजारी करने हेतु अवैद्य तरिके से ले जाया जा रहा था।

4. विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान वाद के परिप्रेक्ष्य में दिये गये दलील से सहमत होनें का कोई तार्किक/तथ्यात्मक एवं विधि–संगत् आधार नहीं बनता है।

आदेश :–

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ से प्राप्त अनुशंसा एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ द्वारा दिये गये मंतव्य से सहमत होते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–7 अन्तर्गत जप्त TVS मोपेड मोटर साईकिल नं०–JH-02BB-6928 चेचिस नं०–MD621BP20L1A08814, इंजन नं०– BP2AL1509038 में पकड़ा गया दो जरकिन में लगभग 100 लिटर किरासन तेल को **राज्यसात** किया जाता है। आदेश की प्रति अग्रेतर–आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ को भेजे। इसी आदेश एवं मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

अभिलेख संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

माधवी मिश्रा
01.11.2021
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
01.11.2021
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2021.11.02 12:50:37 +05:30
Location: 192.168.43.219